फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जगदीश चन्द्र खटीक निवासी आजाद चौक, गावॅ व पोस्ट कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 48/2024

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.07.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये क्रमांक/आरटीआई/2024/751 दिनांक 15.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र ऑनलाईन किया गया था। वह तहसीलदार रेलमगरा के आर टी आई पोर्टल पर प्रदर्शित नही हो रहा था। अतः प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र खटीक निवासी आजाद चौक, गावॅ व पोस्ट कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन की जानकारी इस कार्यालय में नही होने से उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी के इस कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र ऑनलाईन किया गया था। वह तहसीलदार रेलमगरा के आर टी आई पोर्टल पर प्रदर्शित नही हो रहा था। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन की जानकारी इस कार्यालय में नही होने से उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी के इस कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार सूचना प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिलें दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द